''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2005—आश्विन 6, शक 1927

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-7/2005/नौ/17.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2005 की अनुवृत्ति में, राज्य शासन एतद्द्वारा, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 37018/6/2003-ई. ए. जी.(पार्ट-4) दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित किए गए राज्य स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन करता है. तद्नुसार उक्त मिशन में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे :—

1.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	जिला कलेक्टर	सह-अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संयोजक/मिशन संचालक

2. मिशन में निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

1. जिले के सांसद एवं विधायक
2. जिला पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
3. जिले के समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष

4. अध्यक्ष, जिला रोगी कल्याण समिति
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत, समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आर. सी. एच.)
7. जिला आयुर्वेद अधिकारी
8. मदर एन. जी. ओ. के प्रतिनिधि

3. मिशन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जावेगा.

4. मिशन की बैठक प्रति छ: माह में कम से कम एक बार तथा आवश्यकतानुसार आयोजित की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.